

पंजाब राज्य

बनाम

मेसर्स मर्गनटीता मल शांति प्रकाश इत्यादि

5 मई, 2004

[राजेन्द्र बाबू सी.जे. और जी.पी. माथुर, जे.]

पंजाब सामान्य बिक्री कर अधिनियमः

बाजार शुल्क पर क्रय कर लगाना - चुनौती - उच्च न्यायालय द्वारा स्वीकृत - अपील में, अभिनिर्धारित : क्रेता को बाजार शुल्क का भुगतान करना पड़ेगा - विक्रेता बाजार शुल्क का भुगतान करने के लिए कानूनी दायित्व के तहत नहीं है क्योंकि उसे केवल खरीदार की ओर से इसे जमा करने की आवश्यकता होती है - इस प्रकार बाजार शुल्क को बिक्री मूल्य के एक भाग के रूप में नहीं माना जा सकता है- इसलिए, विक्रेता पर बाजार शुल्क के तत्व पर बिक्री कर का भुगतान करने का कोई दायित्व नहीं है - राज्य बाजार शुल्क पर क्रय कर लगाने के विषय पर कानून को स्पष्ट करने के लिए कृषि उपज बाजार समिति अधिनियम/बिक्री कर में प्रासंगिक प्रावधानों में संशोधन कर सकता है।

शब्द और वाक्यांशः

'टर्न ओवर'- पंजाब सामान्य बिक्री कर अधिनियम के संदर्भ में इसका अर्थ।

इन अपीलों में विचार के लिए जो प्रश्न उठा वह यह था कि क्या क्रय कर इस आधार पर बाजार शुल्क के तत्व पर लगाया जा सकता है कि वह कारोबार का हिस्सा नहीं है।

याचिकाओं को खारिज करते हुए अदालत ने अभिनिर्धारित किया : एक बार जब उच्च न्यायालय ने यह अभिनिर्धारित कर दिया कि खरीदार का बाजार शुल्क का भुगतान करने का दायित्व है और यह विक्रेता का कर्तव्य है कि वह खरीदार की ओर से बाजार शुल्क जमा करे और इसलिए उसे खरीदार से प्राप्त करे, इस तरह के लेनदेन पर बाजार शुल्क का भुगतान करना विक्रेता का कानूनी दायित्व नहीं है और इस प्रकार बाजार शुल्क को विक्रय प्रतिफल के एक भाग के रूप में नहीं माना जा सकता है। उच्च न्यायालय द्वारा इसका निष्कर्ष कि विक्रेता पर बाजार शुल्क के तत्व पर बिक्री कर का भुगतान करने का कोई दायित्व नहीं है, उचित है। यदि कानून स्पष्ट नहीं है, तो यह राज्य के लिए खुला है कि कृषि उपज मंडी समिति अधिनियम या बिक्री कर अधिनियम के संदर्भ में कानून में संशोधन करे। [25-जी-एच; 26-ए; सी-डी]

आनंद स्वरूप महेश कुमार बनाम बिक्री कर आयुक्त, (1980) वॉल्यूम 46 बिक्री कर मामले 477, संदर्भित।

सिविल अपीलीय क्षेत्राधिकार : सिविल अपील सं. 14790-

14803/1966

सी.डब्ल्यू.पी.संख्या 796, 987, 988, 1079, 2352, 2353, 2654, 2917, 2925, 2926, 2945, 3228, 3231 और 3672 ऑफ़ 1993 में पंजाब और हरियाणा उच्च न्यायालय के निर्णय और आदेश दिनांक 20.5.93 से।

साथ में

सी.ए. सं. 14736, 14810-14816 ऑफ़ 1996

ए. शरण, एच.एम. सिंह, कौशल यादव, अनिल हुड्डा और आर.एस. सूरी, अपीलार्थियों की ओर से।

पी. एन. पुरी और के.एल. गोयल, प्रत्यार्थियों की ओर से।

न्यायालय का निर्णय राजेन्द्र बाबू, मुख्य न्यायाधिपति द्वारा दिया गया-

इस मामले में उठाया गया सवाल विचार यह है कि क्या क्रय कर इस आधार पर कि यह कारोबार का हिस्सा नहीं है बाजार शुल्क के तत्व पर लगाया जा सकता है।

उच्च न्यायालय में प्रत्यार्थियों द्वारा दायर रिट याचिकाएं उनके पक्ष में समाप्त हो गई हैं। इसलिए विशेष अवकाश द्वारा ये अपीलें।

पंजाब सामान्य बिक्री कर अधिनियम के तहत 'कारोबार' को 'दी गई अवधि के दौरान किसी भी व्यापारी द्वारा वास्तव में की गई बिक्री और खरीद और बिक्री और खरीद के कुछ हिस्सों का कुल योग, सामान्य व्यापार अभ्यास के अनुसार नकद छूट और व्यापार छूट के रूप में अनुमत किसी भी राशि को घटाकर, लेकिन इसमें डीलर द्वारा माल के संबंध में उसकी डिलीवरी के समय या उससे पहले किए गए किसी भी काम के लिए ली गई कोई भी राशि शामिल नहीं है।

विपणन विनियमों के संदर्भ में इस प्रावधान का निर्वचन करते हुए, उच्च न्यायालय ने ध्यान दिया कि वर्तमान मामलों में कर की घटना तब होती है जब कारोबार कर योग्य मात्रा से अधिक हो जाता है, खरीदार को बाजार शुल्क का भुगतान करना पड़ता है क्योंकि अपीलकर्ता बाजार क्षेत्र के भीतर लाइसेंसधारी हैं; कि इसलिए बाजार शुल्क का ऐसा धन विक्रय प्रतिफल का भाग नहीं हो सकता है; कि अपीलकर्ताओं को स्थानीय स्तर पर उनके द्वारा क्रय की गई कृषि उपज के खरीद मूल्य के हिस्से के रूप में बाजार शुल्क की राशि को अपने कारोबार में दिखाने की आवश्यकता नहीं थी; कि ऐसा बाजार शुल्क क्रय कर के मूल्यांकन या भुगतान के लिए कारोबार का हिस्सा नहीं बनेगा।

आनंद स्वरूप महेश कुमार बनाम बिक्री कर आयुक्त, 1980 वॉल्यूम 46 बिक्री कर मामले 477 में में इस न्यायालय द्वारा इस बात पर विचार करने का अवसर था कि क्या सामान्य एजेंट द्वारा खरीद से एकत्र किए गए

यू. पी. कृषि उत्पादन मंडी अधिनियम, 1964 की धारा 3-डी (1) में उल्लिखित खरीद के टर्नओवर पर कुछ व्यापारियों पर लगाए गए अतिरिक्त कर को खरीद के कारोबार में शामिल किया जा सकता है। इस न्यायालय ने व्याख्या की कि ऐसी चार परिस्थितियाँ हैं जिनमें कारोबार को शामिल किया जा सकता है और वे हैं, (i) यदि उत्पाद को कमीशन एजेंट के माध्यम से बेचा जाता है, तो कमीशन एजेंट खरीदार से बाजार शुल्क का भुगतान कर सकता है और उसी का भुगतान समिति को करने के लिए उत्तरदायी होगा; (ii) यदि उत्पाद सीधे किसी व्यापारी द्वारा उत्पादक से खरीदा जाता है तो व्यापारी समिति को बाजार शुल्क का भुगतान करने के लिए उत्तरदायी होगा; (iii) यदि उत्पाद किसी अन्य व्यापारी से किसी व्यापारी द्वारा खरीदा जाता है, तो उत्पाद बेचने वाले व्यापारी को पता चल सकता है कि क्या वह खरीदार से है और वह समिति को बाजार शुल्क का भुगतान करने के लिए उत्तरदायी होगा ; और (iv) ऐसी उपज की बिक्री के किसी अन्य मामले में, खरीदार समिति को बाजार शुल्क का भुगतान करने के लिए उत्तरदायी होगा।

यह प्रस्तुत किया है कि, पंजाब अधिनियम, उस अधिनियम से अलग है जिस पर इस न्यायालय द्वारा आनंद स्वरूप महेश कुमार मामले में विचार किया गया था और उच्च न्यायालय ने कृषि उपज मंडी समिति अधिनियम के दायरे को सही तरीके से अध्ययन नहीं किया।

किन परिस्थितियों में बाजार शुल्क का भुगतान किया जाना है, इस पर विचार करने की आवश्यकता है और एक बार यह माना जाता है कि बाजार शुल्क का भुगतान करने का दायित्व खरीदार का है और यह विक्रेता का कर्तव्य है कि वह खरीदार की ओर से बाजार शुल्क जमा करे और इसलिए, खरीदार से इसे वसूलने के लिए, ऐसे लेनदेन पर बाजार शुल्क का भुगतान करना विक्रेता का कानूनी दायित्व नहीं है और इस प्रकार बाजार शुल्क की राशि को विक्रय प्रतिफल का भाग नहीं माना जा सकता है। इस बात पर गंभीरता से विवाद नहीं किया जा सकता है कि पंजाब राज्य में यह कानूनी स्थिति थी।

यदि कानून स्पष्ट नहीं था, तो यह राज्य के लिए या तो कृषि उपज बाजार समिति अधिनियम या बिक्री कर अधिनियम के संदर्भ में कानून में संशोधन करने के लिए खुला है क्योंकि आनंद स्वरूप महेश कुमार मामले में इस न्यायालय ने यह उल्लेखित किया है कि किन परिस्थितियों में बाजार शुल्क का भुगतान करने की देनदारी कारोबार का हिस्सा बनती है। जब उच्च न्यायालय का निष्कर्ष यह है कि प्रश्न में अधिनियम की जांच करने पर, विक्रेता की ओर से बाजार शुल्क का भुगतान करने का कोई दायित्व नहीं है क्योंकि यह खरीदार का कर्तव्य है कि वह भुगतान करे और विक्रेता इसे खरीदार, से प्राप्त कर सकता है उसका यह निष्कर्ष कि बाजार शुल्क के तत्व पर बिक्री कर का भुगतान करने का कोई दायित्व नहीं था, उचित है।

इसलिए, हम इन अपीलों में कोई योग्यता नहीं पाते हैं और इन्हें
खारिज किया जाता है।

एस.के.एस.

अपीलें खारिज की गईं।

यह अनुवाद आर्टिफिश्यल इंटेलिजेंस दूल "सुवास" की सहायता से अनुवादक विनायक कुमार जोशी, अधिवक्ता द्वारा किया गया है।

अस्वीकरण- इस निर्णय का अनुवाद स्थानीय भाषा में किया जा रहा है, एवं इसका प्रयोग केवल पक्षकार इसको समझने के लिए उनकी भाषा में कर सकेंगे एवं यह किसी अन्य प्रयोजन में काम नहीं ली जायेगी। सभी आधिकारिक एवं व्यवहारिक उद्देश्यों के लिए उक्त निर्णय का अंग्रेजी संस्करण ही विश्वसनीय माना जायेगा एवं निष्पादन एवं क्रियान्वयन में भी उसी को उपयोग में लिया जायेगा।